तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 468/2023 अनवान इब्राहिम बनाम जलाल**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
22.08.24	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए है आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकरतफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 565/184 रकबा 4.8238 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता हैं जो उचित प्रतीत होता है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 565/184 रकबा 4.8238 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- [illegible] एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है जो प्रार्थी द्वारा [illegible] पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested